

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम
2. उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो
3. वर्तमान धारित पद
4. वर्तमान वेतन
5. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की गई हो उसका नाम तथा व्यौरे	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्त
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
श्री. श्रीमती ए.ए. अजमेर डिवाइजन	2 अक्ष	20 बीघा जमीन	40 लाख	श्री. रास सिंह चौधरी अजमेर	पेन्शन	3 लाख	
आर.एस. राई अजमेर	1 अक्ष	-	20 लाख	श्री. श्री अरवि सिंह पिना	पेन्शन	11,00,000	
श्री. श्रीमती -जयराज	1 अक्ष	-	25 लाख	श्री. राम सिंह चौधरी अजमेर	पेन्शन (अंशक) एवं बांझिन)	72,25,000	
देवास एस अजमेर डिवाइजन	1 अक्ष	-	28 लाख	श्री. शंकर अजमेर	श्री. शंकर पर अंशक व बैंक पर	2,40,00,000	
अंशुबिहार अजमेर	1 अक्ष	-	15 लाख	पति	पति द्वारा एवं अंशक	1,10,00,000	
श्रीमती राई अजमेर	1 अक्ष	-	5 लाख	पति			

1- जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

2- ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही विवरण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

3- इसमें अत्यक्तोत्तन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : म.प्र. शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि यह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वास्तिक की तथा उसके द्वारा अर्जित अध्याया उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अवल सम्पत्ति के व्यौरे दें।

हस्ताक्षर.....
पदनाम... 35221
नाम... श्री. श्री. सिंह चौधरी

मो.न.